

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

राजस्व अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल, 2018

विषय: भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियम 3(ड)(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार समुचित सरकार समझे जाने के संबंध में।

महोदय,

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) के अंतर्गत 100 एकड़ से अनधिक क्षेत्र तक की भूमि के अधिग्रहण का अधिकार, क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत, पृथक-पृथक परियोजनाओं के लिए, जिलाधिकारियों को अधिसूचना संख्या 491/एक-13-2014-7क(51)-2014 दिनांक 6 अगस्त, 2014 द्वारा समुचित सरकार माना गया है। भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या-30) की धारा 3(ड)(1) में राज्य सरकार के मामलों में समुचित सरकार को निम्नवत परिभाषित किया गया है -

"किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार"

इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि बिजनेस ऑफ यूपी (एलोकेशन) रूल्स, 1975 के अनुसार शासन का प्रत्येक विभाग अपने विभाग की आवश्यकता के लिए भूमि अध्याप्ति के मामलों में स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य करता है।

2- उपरोक्त प्राविधानों का स्पष्ट आशय है कि सौ एकड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए योजनाओं से संबंधित शासन के प्रशासकीय विभाग समुचित सरकार हैं और उन्हीं के द्वारा सौ एकड़ से अधिक की योजनाओं के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधिनियम संख्या-30) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जाना है। अतः भूमि अध्याप्ति से संबंधित संदर्भ, शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जाएं। राजस्व विभाग द्वारा, प्रशासकीय विभागों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा उठाई गई कठिनाइयों को दूर करने हेतु परामर्श दिया जाएगा। प्रशासकीय विभागों/अनुभागों द्वारा ही उक्त अधिनियम के विषय में शंका समाधान हेतु केवल परामर्श के मामले राजस्व विभाग को संदर्भित किए जाएंगे।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2018/284(1)/एक-13-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश /समस्त जिला अधिकारी , उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, निदेशालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
किंजल सिंह
विशेष सचिव।